


336

212

पक्षकारों एवं  
आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा

म०प्र०  
प्रकाश चन्द्र R. 5294-4/16



116 प्रसार भारती ब्राड कास्टिंग कारपोरेशन द्वारा सहायक निर्देशक अभियात्रकीय  
आकाशवाणी रीवा प्रकाश चन्द्र शुक्ल तनय श्री स्वामीशरण शुक्ला उम्र  
56 वर्ष पेशा नौकरी आकाशवाणी रीवा तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र०  
आवेदक

बनाम

- 1- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रीवा जिला रीवा म०प्र०
- 2- म०प्र० शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय, रीवा जिला रीवा म०प्र०

अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार  
साहब तहसील हुजूर जिला रीवा  
म०प्र० के प्र० क्र० 22अ/12 /13-14  
को आदेश दिनांक 05-05-14  
निगरानी अन्तर्गत धारा 50  
म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ई०

श्री. प्रकाश चन्द्र शुक्ल  
द्वारा आन दिनांक 01-7-16  
प्रस्तुत किया गया  
कोर्ट रीवा

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

अनावेदक क्र० 1 द्वारा एक आवेदन पत्र आ० क्र० 68, 82, 83, 84 एवं  
345 का सीमांकन दिनांक 21-04-14 को राजस्व निरीक्षक गिर्द के साथ  
पटवारी हल्का रीवा के सहयोग से प्रतिनिधि अनुविभागीय अधिकारी लोक  
निर्माण विभाग रीवा के आवेदन के फलस्वरूप सीमांकन की कार्यवाही की गई  
जिसकी कोई जानकारी आवेदक को नहीं हुई आकाशवाणी रीवा को भूमि क्र०  
91 व 92 क्षेत्र 237989 वर्गफिट भूमि का आवंटन दिनांक 23-02-72 को  
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार के प्रतिनिधि एवं  
जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि तहसीलदार के हस्ताक्षर किया गया है मौके में  
मुताबिक नक्शा कब्जा दिया गया। पूर्व में कई सीमांकन किये गये और हर

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक 5294-II/2016..... जिला रीवा

प्रसार भारती द्वारा विरुद्ध न्यायालययंत्री लोकनिर्वाह

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>सुप्रताप प्रो. ड. प्र.</u> अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील <u>हुबल</u> के प्रकरण क्रमांक <u>22/35-12/13-14</u> में पारित आदेश दिनांक <u>5-5-2014</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>16-4-19</u> को कलेक्टर <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"><u>सदस्य</u></p>	

*[Handwritten signature]*